-1-

67

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र. निगरानी/1243-I-15 सन् 2015

राकेश कोरी, आयु-22 वर्ष, तनय मलखान कोरी,
निवासी ग्राम-छतपुरा तहसील-चन्दला, जिला-छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्यारे कोरी तनय श्री मनुवा कोरी,
निवासी ग्राम-छतपुरा तहसील-चन्दला, जिला-छतरपुर (म.प्र.)
2. शासन-मध्यप्रदेश ....गैर निगरानीकर्तागण

<u>यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी -लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) के अपील प्रकरण क्रमांक-12/अपील/2013-14, प्यारे तनय मनुवा कोरी बनाम राकेश वगैरह में पारित अंतरिम आदेश दिनांक-28.04.2015 से दु:खित होकर प्रस्तुत की गई है।</u>

मान्यवर महोदय,

<u>निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959</u>

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रकरण श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षेप सार इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-01 द्वारा भूमि खसरा नंबर-296, 485, 482, रकवा क्रमशः-0.332, 0.421, 0.016 हेक्टेयर, स्थित मौजा-छतपुरा, तहसील-चन्दला, जिला-छतरपुर (म.प्र.) की भूमि निगरानीकर्ता के मृतक बाबा गुलजारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्वअर्जित भूमियां हैं, जिस पर जीवित रहने तक बाबा गुलजारी का कब्जा रहा एवं उनके मरने के पश्चात् निगरानीकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-01 का कब्जा है। उपरोक्त भूमियों को मृतक गुलजारी द्वारा निगरानीकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-01 के पक्ष में दिनांक-29.07.2013 को वसीयतनामा दो गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया, जिनकी मृत्योपरांत [redacted]/निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय तहसीलदार-चन्दला, जिला-छतरपुर म.प्र. के न्यायालय में नामांतरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर राजस्व प्रकरण क्रमांक-68/अ-6/2012-13 राकेश तनय मलखान कोरी बनाम शासन व एक अन्य के नाम से पंजीबद्ध किया गया, जिस पर दिनांक-04.09.2013 को उक्त न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण निगरानीकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-01 के पक्ष में स्वीकृत किया गया, जिसके आधार पर निगरानीकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-01 के नाम की हाल-साल के खसरा में प्रविष्टि की गई और हल्का पटवारी द्वारा भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदाय की गई।

2. यह कि उक्त प्रकरण लम्बित रहने के दौरान न तो कोई आपत्ति किसी के द्वारा की गई और न ही मृतक गुलजारी के वारिस होने के संबंध में इस्तहार प्रकाशन में कोई आपत्ति आई।

निरन्तर.....2

नि: अ: राकेश कोरी

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1243/ I/2015 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-2017	निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 12/अपील/2013–14 में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 28–4–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, मौजा छतरपुर,तहसील चन्दला, जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 296, 485, 482 रकवा कमशः 0.332, 0.421, 0.016 हैक्टर भूमि गुलजारी पिता मनुआ कोरी के स्वत्व स्वामित्व की थी। जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार चंदला के समक्ष वसीयतनामा दिनांक 29–7–2013 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण कमांक 68/अ–6/2012–13 पर दर्ज किया जाकर, मृतक गुलजारी के स्थान पर आदेश दिनांक 4–9–2013 पारित कर निगरानीकर्ता के पक्ष में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 12/अपील/2013–14 पर दर्ज की गई जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 25–9–2014 को अपील प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की जाकर, प्रकरण समाप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अन्तिरिम आदेश दिनांक 28–4–2015 पारित कर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाकर, प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि, तहसीलदार महोदय ने वसीयतनामा के आधार पर निगरानीकर्ता का नामान्तरण स्वीकार किया है जिसके आधार पर निगरानीकर्ता के नाम हाल–साल के खसरा में प्रविष्टि की गई और हल्का पटवारी द्वारा भू–अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदाय की गई। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण लम्बित रहने के दौरान न तो कोई आपत्ति किसी के द्वारा की गई और ना ही मृतक गुलजारी के वारिस होने के संबंध में इश्तहार प्रकाशन के समय आपत्ति आई।

उनका तर्क यह भी है कि, गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मृतक का निकटतम वारिस होने के संबंध में आज तक न तो कोई प्रमाणित दस्तावेज और न ही पैतृक सिजरा प्रस्तुत किया गया है वह मृतक का कही से किसी भी प्रकार से कोई वारिस नहीं है। केवल निगरानीकर्ता को परेशान करने के उद्धेश्य से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने इस तथ्य को अनदेखा कर निगरानीकर्ता का आवेदन निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की है। इस कारण उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4– गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–1 सूचना उपरान्त अनुपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–2 की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा तर्क दिया गया कि अभी प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अन्तिम वहस हेतु नियत है इस कारण उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोधा किया गया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर निगरानीकर्ता का नामान्तरण स्वीकार किया गया है जिसकी अपील गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समझ होने पर प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान

निगरानीकर्ता द्वारा अपील प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–4–2015 द्वारा निराधार होने से निरस्त की गई है।

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि, मृतक गुलजारी एवं अधारे दोनो आपस में सगे भाई होकर लावल्द फौत हुए गैरनिगरानीकर्ता कमाक–1 मृतक का सगा भाई होने के नाते विधिक उत्तराधिकारी है तथा उसे अपील करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रकरण का अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण–दोष पर निराकरण होना वाकी है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का अन्तिरिम आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 12/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28–4–2015 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर